

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे -III/10460-467

दिनांक :- 02.09.2015

शुद्धि पत्र

विभागीय आदेश संख्या 50/2015-16 दिनांक 30.06.2015 में क्रम संख्या 5 पर अंकित श्री संजय कुमार शर्मा के सामने कॉलम संख्या 4 में वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम "उपनिदेशक कृषि (विस्तार) विभाग जिला परिषद, भरतपुर" पढ़ा जावे।



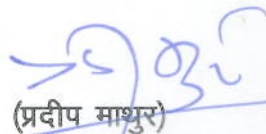
(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे -III/10460-467

दिनांक :- 02.09.2015

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नव पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
3. कोषाधिकारी.....
4. श्री..... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार कार्यालयको प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किया बिना तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फैंक्स अथवा विभागीय ई-मेल (jacct.dta@rajasthan.gov.in) पर इस विभाग को भिजवाये।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/कार्मिक-II) कार्यालय हाजा।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) के कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।



(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)